26-3002/5/2021-समाज कल्याण अनुभाग-3-समाज कल्याण विभाग 1/676493/2024

संख्या-83 /2024/ — /001-1716-26-3-2024-1357416

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 26 जून, 2024

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत संचालित अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को सहायता योजनान्तर्गत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-372/स0क0/विकास/अत्या0उत्पी0-बजट/2024-25 दिनांक 06.06.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार उत्पीड़न निवारण योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्ष-2225-01-789-0111 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0-3009.10174 लाख एवं सुसंगत लेखाशीर्षक-2225-01-789-8911 के अन्तर्गत राज्यांश के रूप में रू0-3009.10174 लाख अर्थात कुल धनराशि **रू0-6018.20348 लाख (रूपये साठ करोड़ अठ्ठारह लाख बीस हजार तीन सौ अड़तालीस मात्र)** लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार उत्पीड़न निवारण योजनान्तर्गत अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्ष-2225-01-789-0111 के मानक मद 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित केन्द्रांश की धनराशि रू0-14930.00 लाख के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 3009.10174 लाख तथा अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2225-01-789-8911-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का **संगत राज्यांश** के मानक मद 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0-14930.00 लाख के सापेक्ष रू0 3009.10174 लाख अर्थात् कुल धनराशि **रू0-6018.20348 लाख (रूपये साठ करोड़ अठ्ठारह लाख बीस हजार तीन सौ अड़तालीस मात्र)** की निम्नवत् तालिका में अंकित विवरण के अनुसार अग्रलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

लेखाशीर्षक-2225017890111 (अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को सहायता (50 प्रतिशत भारत सरकार जिला योजना) (के.50/रा.50-के.)

अनुदान संख्या	**लेखा-शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**
83	2225017890111 अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों एवं	20 सहायता अनुदान-	**30,09,10,174/-** **(रूपया तीस करोड नौ लाख दस हजार एक सौ चौहत्तर मात्र)**

	अनुसूचित जनजातियों को सहायता (50% भारत सरकार जिला योजना) (के.50/रा.50-के.)	सामान्य (गैर वेतन)	
कुल			**30,09,10,174/-** **(रूपया तीस करोड नौ लाख दस हजार एक सौ चौहत्तर मात्र)**

लेखाषीर्शक: 2225017898911 (अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को सहायता (50 प्रतिशत भारत सरकार जिला योजना)

अनुदान संख्या	लेखा-शीर्षक	मानक मद	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4
83	2225017898911 अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को सहायता (50% भारत सरकार जिला योजना)	20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	**30,09,10,174/-** **(रूपया तीस करोड नौ लाख दस हजार एक सौ चौहत्तर मात्र)**
कुल			**30,09,10,174/-** **(रूपया तीस करोड नौ लाख दस हजार एक सौ चौहत्तर मात्र)**
महायोग	**रू0-60,18,20,348/-** **(रूपया साठ करोड़ अट्ठारह लाख बीस हजार तीन सौ अडतालीस मात्र)**		

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2024-25 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/ 2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के

व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्र्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

(5) यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनाँक 04-03-2024 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

(6) प्रश्नतगत योजना की भारत सरकार/राज्यय सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रश्न गत योजनान्तर्गत लाभार्थी के बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान किया जाय।

(8) प्रश्न गत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(9) वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्र0वि0 द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(12) प्रश्नतगत योजनान्तयर्गत भारत सरकार से प्राप्ति केन्द्रां श के सापेक्ष ही संगत धनराशि निर्गत की जा रही है।

(13)प्रश्नरगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 30,09,10,174 (रुपये तीस करोड़ नौ लाख दस हजार एक सौ चौहत्तर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2225017890111 अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को सहायता (50% भारत सरकार जिला योजना) (के.50/रा.50-के.) **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) (*2*) रुपये 30,09,10,174 (रुपये तीस करोड़ नौ लाख दस हजार एक सौ चौहत्तर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2225017898911 अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को सहायता (50% भारत सरकार जिला योजना) **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-4-17-X-2024-25-दिनांक:24-6-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

Signed by भवदीय,
Rajneesh Chandra
Date: 26-06-2024 10:50:50
रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव

26-3002/5/2024-समाज कल्याण अनुभाग-3-समाज कल्याण विभाग 1/676493/2024

संख्या- /2024/ /001-1716-26-3-2024-1357416, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव